

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 52/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ)-केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 1258.(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, "31 अक्तूबर, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवंबर, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.2)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1258(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।